ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00005

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 09/2020

1. अंशुदेवी पत्नी श्री मुकेश कुमार उम्र 38 वर्ष जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 25, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थिया

बनाम

1. उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, ।
2. डिम्पल पत्नी राजेन्द्र वर्मा निवासी वार्ड नम्बर 19, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :

1. सतनाम सिंह अधिवक्ता अपीलार्थी
2. विभागीय प्रतिनिधि उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर।
3. अमित स्वामी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

दिनांक : 25.03.2021

आदेश

अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उक्त आदेश दिनांक 28.01.2020 नियम विरूद्व एवं प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत है जिसमें प्रार्थी/अपीलार्थी को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है और ना ही अपीलार्थी को सुनवाई के लिए सूचित किया गया है बल्कि एकतरफा तोर पर अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आदेश पारित करके डिम्पल पत्नी राजेन्द्र वर्मा का चयन किया गया है। अपीलार्थी वार्ड संख्या 25 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर की मूल निवासी है। प्रार्थीया इसी वार्ड संख्या 25 में विवाह के उपरान्त अपने पति मुकेश कुमार के साथ निवास कर रही है। अपीलार्थी 10 वी तक शिक्षित है तथा सामान्य वर्ग से संबंधित है। इसके विपरीत अप्रार्थी संख्या 02 डिम्पल पत्नी राजेन्द्र वर्मा वार्ड संख्या 25 की निवासी नहीं थी बल्कि डिम्पल वर्मा वार्ड संख्या 19 की निवासी थी जिसका वार्ड संख्या पूर्व में 12 था। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दूसरे वार्ड की महिला के चयन की अभिशंषा विधिविरूद्व तरीके से करके आदेश पारित किया गया है जबकि डिम्पल पत्नी राजेन्द्र वर्मा चयन के अभिशंषा करने की पात्रता नहीं रखती थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा भी अपनी सही रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि अप्रार्थी संख्या 02 डिम्पल वार्ड संख्या 19 नया पुराना 12 की निवासी है। जिसके द्वारा वार्ड संख्या 25 का राशनकार्ड भी गलत तरीके से बनाया है तथा वार्ड संख्या 25 में इसकी वोटरलिस्ट नहीं है जबकि सुपरवाईजर द्वारा यह आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी। अप्रार्थी संख्या 02 डिम्पल इस वार्ड की नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा गलत रूप से वार्ड संख्या 25 का निवासी बताकर चयन की अभिशंषा प्राप्त कर ली है जिसे निरस्त किया जाना आवश्यक है क्योंकि इससे अपीलार्थीया के हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अपीलार्थीया चयन की अभिशंषा की पात्रता रखती है जिसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा ना ही कोई नोटिस दिया गया है बल्कि निर्णय में सुनवाई का अवसर लिखकर मात्र कागजी कार्यवाही को पूर्ण किया गया है। चयन के लिए अप्रार्थी संख्या 02 को जो अंक दिये गये है वह गलत दिये गये है

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00005

। उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर का आदेश गलत व विधि के प्रावधानों के विरूद्व होने के उक्त आदेश निरस्त होने लायक है क्योंकि डिम्पल (अप्रार्थी संख्या 02) का चयन की अभिशंषा सही नहीं की गई है। अपीलार्थीया चयन की प्रथम दृष्टया हकदार है इसलिये प्रार्थीया का आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड संख्या 25 आशा सहयोगिन के पद पर चयन किया जावें।

अपील से संबधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

रेस्पोडेन्ट उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास, श्रीगंगानगर की तरफ से बाल विकास परियोजना अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपना जवाब पत्र कमांक 1596-97 दिनांक 05.03.2020 से प्रस्तुत कर अंकित किया कि आंगनबाड़ी केन्द्र वार्ड नम्बर 20 पुराना 25 नया की आशा सहयोगिनी के रिक्त पद को भरने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 27.08.2019 को आंगनबाड़ी केन्द्रो के रिक्त पदो की विज्ञप्ति भी समाचार पत्रों में जारी करवाई गई थी। इस कार्यालय द्वारा दिनांक 16.09.2019 तक आवेदन पत्र लिए गये थे। दिनांक 16.09.2019 तक तीन आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इस विभाग की गठित कमेटी द्वारा वरीयता सूची तैयार कर उक्त सहयोगिनी पद पर चयन हेतु प्राप्त आवेदन पत्र, मूल्यांकन प्रपत्र व वरीयता सूची का अनुमोदन चयन समिति बैठक द्वारा किये जाने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को भिजवाये गये थे परन्तु जिसका अनुमोदन शहरी चयन समिति द्वारा तय समय सीमा पार हो जाने के बाद भी नहीं किया गया। श्रीमान उपनिदेशक महोदय के आदेश कमांक 3205 दिनांक 26.12.2019 के द्वारा उक्त आवेदन पत्र मय पत्रावली उपनिदेशक कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया जो कि इस कार्यालय के पत्रांक 1375 दिनांक 30.12.2019 के द्वारा भिजवा दी। उपनिदेशक कार्यालय द्वारा श्रीमती गुरप्रीत कौर पत्नी रामदास की विभागीय नियमानुसार निर्धारित आयु नहीं होने के कारण निरस्त कर दिया गया तथा पत्र कमांक 3239-40 दिनांक 01.01.2020 के द्वारा पात्र दोनो आवेदकों को दिनांक 06.01.2020 को सुनवाई व दस्तावेजों के सत्यापन के लिये बुलाया गया। जिसमें आवेदक श्रीमती डिम्पल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें पुराने एवं नये राशन कार्ड भी आवेदन के साथ लगाये है जिसमें पुराने राशन कार्ड में वार्ड 20 तथा नया राशन कार्ड वार्ड नम्बर 25 अंकित है। आवेदक श्रीमती डिम्पल का मूल निवास प्रमाण-पत्र भी विज्ञप्ति से पूर्व दिनांक 19.06.2019 को जारी होना पाया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर स्पष्ट होता है कि श्रीमती डिम्पल पत्नी राजेन्द्र वार्ड नम्बर 20 व नया वार्ड नम्बर 25 की निवासी होना पाया गया। उपनिदेशक कार्यालय के चयन अभिशंषा पत्र कमांक स्था./2019-20/4111 दिनांक 28.01.2020 के अनुसार सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश कमांक 111122 दिनांक 25.07.2017 के बिन्दु संख्या 2 शहरी क्षेत्र में चयन के उप बिन्दु संख्या 11 की पालना में नियमानुसार श्रीमती डिम्पल पत्नी राजेन्द्र वरीयता में प्रथम अंक 2 (सामान्य-1, 12 वी -1) रखने के कारण आशा सहयोगिन के पद हेतु चयन हेतु अभिशंषा की गई है।

अधिवक्ता अपीलार्थीया बार-बार आवाजें लगाई गई। उपस्थित नहीं। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उपनिदेशक कार्यालय श्रीगंगानगर को पत्रावली महिला एवं बाल विकास विभाग रायसिंहनगर के पत्र कमांक 3239-40 दिनांक 01.01.2020 के द्वारा प्राप्त होने पर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

ऑन लाईन नं. RCMS 2020/00005

पात्र दोनो आवेदकों को दिनांक 06.01.2020 को सुनवाई व दस्तावेजों के सत्यापन के लिये बुलाया गया। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 02 श्रीमती डिम्पल के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जिसमें पुराने एवं नये राशन कार्ड भी आवेदन के साथ लगाये थे जिसमें पुराने राशन कार्ड में वार्ड 20 तथा नया राशन कार्ड वार्ड नम्बर 25 अंकित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 श्रीमती डिम्पल का मूल निवास प्रमाण–पत्र भी विज्ञप्ति से पूर्व दिनांक 19.06.2019 को जारी शुदा था। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 02 श्रीमती डिम्पल पत्नी राजेन्द्र वार्ड नम्बर 20 व नया वार्ड नम्बर 25 की निवासी होना पाया गया। उपनिदेशक कार्यालय के चयन अभिशंषा पत्र कमांक स्था./2019–20/4111 दिनांक 28.01.2020 के अनुसार निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं जयपुर के आदेश कमांक 111122 दिनांक 25.07.2017 के बिन्दु संख्या 2 शहरी क्षेत्र में चयन के उप बिन्दु संख्या 11 की पालना में नियमानुसार श्रीमती डिम्पल पत्नी राजेन्द्र वरीयता में प्रथम अंक 2 (सामान्य–1, 12 वी –1) रखने के कारण आशा सहयोगिन के पद हेतु चयन हेतु अभिशंषा की गई है। अतः अपील अपीलार्थीयां खारिज फरमाई जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया गया तो पाया कि आंगनवाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 20 पुराना 25 नया की आशा सहयोगिनी के रिक्त पद को भरने हेतु विभाग द्वारा दिनांक 27.08.2019 को आंगनबाड़ी केन्द्रो के रिक्त पदो की विज्ञप्ति जारी करवाई गई। उपनिदेशक के आदेश कमांक 3205 दिनांक 26.12.2019 के द्वारा पात्र दोनो आवेदकों को दिनांक 06.01.2020 को सुनवाई व दस्तावेजों के सत्यापन के लिये बुलाया गया। अपीलार्थीया का मुख्य आरोप की अप्रार्थीया संख्या 02 वार्ड नम्बर 25 की निवासी नहीं है के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट श्रीमती डिम्पल पत्नी राजेन्द्र वार्ड नम्बर 20 व नया वार्ड नम्बर 25 की निवासी होना पाया गया। फहरिस्त दस्तावेजात सूचि अनुसार आधार कार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर कार्ड, मूल निवास, विवाह प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजात सभी वार्ड नम्बर 25 के प्रस्तुत किये है जिससे प्रमाणित होता है रेस्पोडेन्ट संख्या 02 वार्ड नम्बर 25 की निवासी है। फलस्वरूप अपलार्थीया की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 25.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(भवानी सिंह पंवार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर।

जयपुर के आदेशानुसार जिले में आंगनबाड़ी